


118/2018

राजेन्द्र / पाबूखिंद

दिनांक	आज्ञा पत्र	
8/10/24	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को हिदायत दी जाती है कि आगामी तिथि से पूर्व तलबी से रोष रैस्पोंडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस के अंतर्गत आगामी तिथि पर आदेश 9 निम्न में प्रस्तुत कर अपील खारिज कर दी जायेगी। तलबी से रोष में प्राम शामिल पत्रावली रहे / तलब किया जाये। पत्रावली बास्ते तलबी दिनांक 11.11.24 को पेश हों। पत्रावली में पूर्व में यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।</p>	
11.11.24	<p>पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्त/रेस्पों.उपस्थित गैठालीन अधिकारी महोदय आज..... अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 11.11.24 को पेश हो।</p>	
10/12/24	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त एवं अपीलान्त स्वयं को बार बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय सायंकाल 6 बजे तक बार बार दिलाई गई। इन्तजार किया गया उसके बावजूद अपीलान्त एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलान्त अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकल्प फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद त्तरतीब तफमील दाखिल टफतर हो।</p>	 <p>प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प इन्डियन)</p>